

कुमायूँ बन तथ्य निरूपण समिति

का

प्रतिवेदन



मुद्रक :

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत ।

१९६०

सं० २०६३ उ० म० (शि० का)

सेवा में,

सचिव, वन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विषय : कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति का प्रतिवेदन

दिनांक, लखनऊ, १० दिसम्बर, १९५६ ।

महोदय,

मुझे आपको कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति के प्रतिवेदन की दो प्रतियां भेजते हुये यह सूचित करने का आदेश है कि समिति ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है ।

२—प्रतिवेदन की दो अन्य प्रतियां आपको शीघ्र ही भेज दी जायंगी ।

भवदीय,
पी० सी० चटर्जी,
सचिव ।

विषय-सूची

भाग १

		पृष्ठ
अध्याय १	प्रस्तावना	१-२
अध्याय २	कार्यारम्भ	३-५
अध्याय ३	भौगोलिक वर्णन	६-७
अध्याय ४	नदियां जल वितरण तथा वन साधन	८-१४
अध्याय ५	वनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि . . .	१५-२२

भाग २

अध्याय ६	कुमायूं में वन विभाग की विकास कार्यवाहियों की तुलना में स्थानांतरण लीनों की आवश्यकता के विषय में वन नीति	२३-३२
अध्याय ७	कुमायूं के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के वन संबंधी अधिकारों तथा सुविधाओं से संबंधित परिवेदनाओं की जांच	३३-३७
अध्याय ८	पर्वतीय शहरों में इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी तथा कोयले की सप्लाई और उनके मूल्यों की वृद्धि का प्रश्न	३८-४४
अध्याय ९	वनों में चराई की सुविधा का सामान्य प्रश्न	४५-४७
अध्याय १०	वनों में गिरी हुई जलाने की लकड़ी को एकत्र करने तथा हटाने का प्रश्न . . .	४८-४९
अध्याय ११	भूमिहानों को बसाने के लिये वनों को साफ करने का प्रश्न . . .	५०-५२
अध्याय १२	टिहरो में सार्वजनिक उपभोग के लिये इमारती लकड़ी आदि देना	५३
अध्याय १३	कुमायूं के वनों में जनता के अधिकारों से संबंधित अन्य कोई प्रश्न	५४-५९
अध्याय १४	उपसंहार	६०

भाग ३

परिशिष्ट १	कुमायूं वन तथ्य शोधक समिति की प्रश्नावली	६१-६९
परिशिष्ट २	उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों की संख्या आदि	७०
परिशिष्ट ३	कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति की बैठकें	७१-७२
परिशिष्ट ४	कुमायूं सिविल वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन आदि का उत्पादन	७३-७४
परिशिष्ट ५	शासकीय आदेश संख्या १४५, दिनांक २२ मार्च, १९४१	७५-८०
परिशिष्ट ६	शासकीय आदेश संख्या ६०५, दिनांक २२ सितम्बर, १९४१	८१-९०
परिशिष्ट ७	राष्ट्रीय वन नीति	९१-१००
परिशिष्ट ८	कुमायूं वन पंचायत नियम	१०१-१०५
परिशिष्ट ९	हक हकूक की लकड़ी देने के लिये प्रस्तावित रजिस्टर के फार्म का नमूना	१०६

II

परिशिष्ट १०	शासकीय आदेश संख्या ६६०, दिनांक १ नवम्बर, १९३२ ..	१०७
परिशिष्ट ११	शासकीय आदेश संख्या ६११, दिनांक १२ जून, १९२२ ..	१०८-१०९
परिशिष्ट १२	सिविल डिवीजनों के वनों का विवरण ..	११०
परिशिष्ट १३	कुमायूं सिविल डिवीजन में स्थित वनों की आय और व्यय का व्योरा १११-११२	
परिशिष्ट १४	कुमायूं सिविल डिवीजन के जिलों में भूमि तथा वनों की स्थिति ..	११३
परिशिष्ट १५	हक हकूकों में दी गई लकड़ी का विवरण ..	१६४-११५
परिशिष्ट १६	सार्वजनिक उपयोगिता के प्रमाण पत्र पर दी गई लकड़ी का विवरण ..	११६-११७
परिशिष्ट १७	समिति के सम्मुख साक्षी देने वालों का विवरण ..	११८
परिशिष्ट १८	शासकीय आदेश संख्या ४०७, दिनांक १४ जून, १९५१ ..	११९-१२०
परिशिष्ट १९	तराई भावर के निवासियों को निःशुल्क लकड़ देने के नियम ..	१२१-१२७
परिशिष्ट २०	सुरक्षित वनों के संबंध में ग्रामों को सुविधायें तथा उनका उत्तरदायित्व (टिहरी में) ..	१२८-१३१
परिशिष्ट २१	नैनीताल : जनता द्वारा दी गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण ..	१३२-१३३
परिशिष्ट २२	टिहरी गढ़वाल : जनता द्वारा दी गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण ..	१३४-१३५
परिशिष्ट २३	गढ़वाल : जनता द्वारा दी गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण ..	१३६-१३७
परिशिष्ट २४	अल्मोड़ा : जनता द्वारा दी गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण ..	१३८-१३९
परिशिष्ट २५	प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण : गढ़वाल ..	१४०-१४१
परिशिष्ट २६	प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण : नैनीताल ..	१४२-१४५
परिशिष्ट २७	प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण : अल्मोड़ा ..	१४६-१४७
परिशिष्ट २८	प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण : टिहरी ..	१४८-१५१
परिशिष्ट २९	कुमायूं सिविल डिवीजन के जिलेवार जन संख्या ..	१५२